May 12, 2018

BSE Limited **Corporate Services Department** **Phiroze Jeejeebhoy Towers** **Dalal Street, Mumbai-400 001** **Scrip Code: 532529**	**The National Stock Exchange of India Limited** **Corporate Communications Department** **"Exchange Plaza"** **Bandra Kurla Complex, Bandra (East)** **Mumbai-400051** **Scrip Symbol: NDTV**

Sub: Submission of newspaper advertisement

Dear Sirs,

Please find enclosed herewith copy of advertisement published in Hindi & English language newspaper, for audited financial results of the Company for the financial year ended March 31, 2018.

You are requested to take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For New Delhi Television Limited

New Delhi Television Ltd. 207 Okhla Indl Estate-III New Delhi-20

Hemant Kumar Gupta
Company Secretary & Compliance Officer

Enclosed as above

new delhi television limited, 207, okhla industrial estate ph-III, new delhi - 110 020, india. tel: (91-11) 4157 7777, 2644 6666 fax: 2923 1740 www.ndtv.com
e-mail: corporate@ndtv.com, CIN: L92111DL1988PLC033099

Economy

SATURDAY, MAY 12, 2018

ENTREPRENEURSHIP

Bibek Debroy, member, NITI Aayog

A big question mark is whether the Indian education system facilitates entrepreneurship. Nearly 95% of the entrepreneurial attempts fail in the country and the education system never teaches students to question.

Quick View

FDI proposals worth ₹3,250 cr cleared

THE FINANCE MINISTRY on Friday said it cleared three foreign direct investment (FDI) proposals worth ₹3,250 crore in April. The proposals included that of Hindustan Infralog, which sought approval for foreign investment from DP World Global Investment BV, Netherlands, amounting to 65% of paid-up share capital. The proposal of Hindustan Infralog will bring FDI up to ₹3,250 crore, a finance ministry statement said.

Disbursal of export refunds

DISBURSAL OF PENDING exports refunds of ₹14,000 crore under the GST is likely to be expedited as talks between departments of commerce and revenue are progressing fast, a top official said. Addressing a workshop here, additional DG of foreign trade NK Srivastava, however, blamed the exporting community for the delay as their filing of GST refund had been incorrect.

NEET: Upper age limit upheld

THE DELHI HIGH Court dismissed pleas challenging the CBSE notification laying down the upper age limit of 25 and 30 years for general and reserved categories, respectively, to apply for National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET)-UG, a pre-qualification for pursuing MBBS course. The high court, however, struck down a clause in the notification which bars students from open schools or those who have studied privately from appearing in the test.

MUTED EXPANSION

March IIP growth falls to 5-month low of 4.4%

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, May 11

THE INDUSTRIAL OUTPUT grew by 4.4% in March, the slowest in five months, owing to a fall in capital goods production and deceleration in mining activity, according to the official data.

The industrial growth, measured by the Index of Industrial Production (IIP), too decelerated to 4.3% in 2017-18, from 4.6% in the previous fiscal.

The IIP grew by 4.4% in March 2017, the same as in March this year, the data released on Friday by the Central Statistics Office (CSO) showed.

The previous low at 1.8% was recorded in October 2017.

The manufacturing sector, which constitutes over 77% of the index, grew at 4.4% in March, compared with 3.3% in the same month a year ago.

The output of mining sector decelerated to 2.8% during the month, as against 10.1% in March 2017. Power generation, too, slowed down to 5.9%, compared with 6.2% in March 2017. Capital goods output, however, declined by 1.8% during March, compared to a growth of 9.4% in the corresponding period last year.

"With an unfavourable base effect, the capital goods sector displayed a Y-o-Y contraction of 1.8% in March 2018, the worst performance in nine months, despite the healthy growth displayed by commercial vehicles," ICRA's principal economist Aditi Nayar said. "Nevertheless, the sustained contraction recorded from April 2017 to July 2017, suggests that capital goods may revert to displaying modest growth in the next few months."

According to industry body Assocham, the IIP data for March throw a disconcerting fact about lack of appetite for investment, amplified by negative growth in the capital goods. "The overhang of high leverage in the industry as also squeezed balance sheets of the banks are visible from the IIP data," Assocham secretary general DS Rawat said.

Consumer durables output, on the other hand, showed an increase of 2.9% as against a decline of 0.6% in March 2017. The consumer non-durables segment showed an impressive growth of 10.9% in March, against 7.5% in the corresponding month last year. During 2017-18, the manufacturing sector recorded a growth of 4.5%, marginally up from 4.4% in 2016-17.

The mining sector as well as power generation reported deceleration to 2.3% and 4.6% from 5.3% and 5.4%, respectively, in 2016-17.

E-rickshaw tyres to attract 28% GST, says Maha AAR

SUMIT JHA
New Delhi, May 11

TYRES USED IN e-rickshaws attract the peak goods and services tax (GST) rate of 28%, the Authority for Advanced Ruling (AAR) in Maharashtra said. The ruling dismissed the argument of the applicant, CEAT, that such tyres should be taxed at 5%, as is the case with tyres of 'three-wheeled powered cycle rickshaw'.

The applicant argued that the GST tariff schedule doesn't specifically mention rates for e-rickshaw tyres, but has kept the rate of tyres meant for 'three-wheeled powered cycle rickshaw' at 5%. The applicant has been charging 5% GST on sale of such tyres based on the tariff schedule, which mentions tyres and tubes used in bicycles, cycle-rickshaws and 'three-wheeled power rickshaws' under 5% GST.

Tax experts said the ruling would hurt e-rickshaw operators, who are often small businesses with no scope to utilise the input tax credit (ITC) in lieu of taxes paid on tyres.

"Taxing e-rickshaw tyres at 28% against a rate of 5% which is notified for manual rickshaw tyres seems to be a little harsh and goes against the public policy. E-rickshaw pullers operate below the threshold limit for GST registration and thereby they would not be able to claim any input tax credit resulting into an additional tax of 23%, hitting there earnings directly," Rajat Mohan, partner, AMRG & Associates, said.

The applicant argued that like items should be treated similarly, and goods of the same kind should be clubbed and treated at par in terms of the tax rate. "Extending the same principle to e-rickshaws, it is submitted, that e-rickshaws should be treated as similar to 'three-wheeled powered cycle rickshaws' in law and clubbed with the same for the purpose of taxation under GST," the applicant said.

The authority, however, disagreed with the argument stating that while e-rickshaws are powered solely by an electric motor, powered rickshaws can be peddled if need be, although it can be fitted with motor to assist the driver. The authority also pointed out that size of tyres and tubes used in e-rickshaws are also widely used in scooters and motorcycles.

Additionally, the authority said the distinction between two vehicles is established from the fact that unlike powered rickshaws, e-rickshaws is classified as motor vehicle under 'Motor Vehicle Act' and they need to be registered with local transport authority.

"The product is classified and covered by Tariff Heading 4011 and the rate of tax shall be at the rate of 14% under MGST Act, 2017 and 14% under CGST Act, 2017," the ruling said.

₹16,500 cr for Swachh Bharat Mission in FY19

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, May 11

A SUM OF ₹16,500 crore has been earmarked by 71 ministries and departments of the central government for implementation of the Swachh Bharat Mission in 2018-19.

The amount is over and above the budget of ministries in-charge of sanitation i.e. the Ministry of Drinking Water and Sanitation for Swachh Bharat Mission (Gramin) and the Ministry of Housing and Urban Affairs for Swachh Bharat Mission (Urban).

The Swachhata Action Plan (SAP) 2018-19 was launched by Cabinet Secretary PK Sinha at a meeting of Union secretaries and senior officials here on Friday.

The SAP Compendium 2018-19 was also released on this occasion.

"The committee of secretaries led by the Cabinet secretary today reviewed the implementation of SAP 2017-18 by Union ministries/departments. During last year, the ministries had allocated over ₹18,000 crore. At the review meeting, the Cabinet secretary underlined that efforts under SAP needed to be sustained by the respective ministries," an official statement said.

"The Cabinet secretary emphasised that all secretaries needed to personally monitor implementation of SAP on a regular basis. He said each ministry should look beyond its own programmes and schemes, and bring innovation in the implementation of SAP," it said. Sinha also called for a higher allocation of funds and higher utilisation in SAP.

Parameswaran Iyer, secretary, the Ministry of Drinking Water and Sanitation, gave a presentation on the performance of the Swachhata Action Plan for 2017-18 at the meeting. He also presented a brief on SAP 2018-19, which will be implemented by ministries and departments during the current financial year.

India to grow at 7.3% in FY19: Fitch

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, May 11

INDIA'S ECONOMIC GROWTH will accelerate to 7.3% in the current fiscal and 7.5% in the next one as money supply has recovered to its pre-demonetisation level and disruptions related to the rollout of the GST have diminished.

Fitch, which last month kept India's sovereign rating unchanged for the 12th year in a row, said the country's ratings "balance a strong medium-term growth outlook and favourable external balances against a weak fiscal position and difficult business environment".

But the business environment is likely to improve gradually with the implementation and continued broadening of the government's structural-reform agenda.

"Fitch expects growth to accelerate to 7.3% in the fiscal year ending March 2019 (FY19), and 7.5% in FY20, from 6.5% in FY18," the agency said.

From the Front Page

Munjal-Burman offer: Certainty factor led to bid choice: Fortis

ON THE immediate task of the management of the cash-strapped healthcare chain, he said, "I would want them to focus on the performance and results of the of hospital business."

Fortis announced on Thursday night that its board has picked the offer from the Munjal-Burman combine over four other suitors who made binding offers.

The board decided by majority to recommend to shareholders to approve the revised offer Hero Enterprise Investment Office and Burman Family Office (Dabur group) made on May 1 for an upfront equity infusion of Rs 800 crore at a price of Rs 167 per share through preferential allotment.

The Munjals-Burmans further agreed to invest another Rs 1,000 crore via preferential issue of warrants priced at Rs 176 per share.

Malaysia's IHH Healthcare, the Manipal-TPG combine and KKR-backed Radiant Life Care had also put in binding bids for Fortis.

The fifth bidder, Fosun Health Holdings, an arm of China's Fosun International, which made a non-binding proposal to invest a total of $350 million (over Rs 2,295 crore) at a price up to Rs 156 per share, did not revise its offer.

"Disappointed" over losing the race to acquire Fortis Healthcare, Malaysia's IHH Healthcare on Friday said that it is currently evaluating options while seeking support from shareholders of the Indian firm.

Idea, Airtel tumble on Jio's new plan

"POSTPAID, CORPORATE accounts being a large chunk, segment had been an area that hadn't been impacted as much as the prepaid segment by the Jio disruption yet. Jio had not been able to make a meaningful headway here thus far. This event changes the dynamic; dramatically, as always," Kotak Institutional Equities wrote in its report. It said that assuming 25% impact on postpaid revenues and 50% impact on ISD revenues (these two would partly overlap), the effect on incumbent revenues could be as much as 6-7%.

"More important than the financial impact is the inherent messaging from Jio — the company would disrupt any segment where its market share is low right now. These segments are postpaid and 2G prepaid at this point. This could mean further disruption on the JioPhone front if JioPhone numbers do not track in line with Jio's aggressive targets. Extremely worrying stance," the Kotak report noted.

CPSE privatisation: BHEL, MTNL on NITI's new list

MTNL HAS a huge staff strength of 27,919 that needs to be taken care of. The telecom PSU, with operations in Delhi and Mumbai, reported a turnover of Rs 2,870 crore and a loss of Rs 2,941 crore in FY17. Its market capitalisation was just Rs 1,103 crore on BSE.

Of the 40 CPSEs previously identified by NITI Aayog for strategic sales, the government has already invited expressions of interest for divestment of about 10 companies including Air India, Pawan Hans, Hindustan Prefab, Hospital Services Consultancy Corporation, Bridge & Roof Co, National Projects Construction Corporation, Engineering Projects India and Bharat Pumps and Compressors. Privatisation of a CPSE (Hindustan Zinc) last happened in 2003-04.

The history of disinvestment in the country can be traced to the United Front government which set up the Disinvestment Commission in 1996. But it was the NDA government led by Atal Bihari Vajpayee that set the process in motion and privatised more than a dozen PSUs, the most notable ones being IPCL, which was sold to Reliance Industries, and Bharat Aluminium and Hindustan Zinc, both of which went to Vedanta Resources.

Tax notice to banks: DFS to seek relief, take up matter with revenue dept

ACCORDING TO some estimates, the tax notice seeks to garner around ₹30,000-40,000 crore from banks. Interestingly, the demand is with retrospective effect with a 12% service tax claimed since 2012, an 18% interest on the amount and a 100% penalty, said bankers. The notice was issued by the Directorate General of Goods and Services Tax Intelligence (DGGST) to private banks like ICICI Bank, HDFC Bank and Axis Bank, and a few public sector banks, mainly State Bank of India.

Bankers said that each bank offers a different slab of minimum balance to customers, based on which customers get certain free services. The tax is being sought to be levied on certain free services provided by banks to customers—including issuance of cheque books, account statements, unlimited cash withdrawals from ATMs in a month, debit cards and PIN change—for maintaining a minimum balance in their deposits. The tax notice comes at a time when banks, especially public sector ones, are struggling with massive bad debts. Bankers said no such tax demand is legitimate, that too for services on which they didn't earn anything.

Oh, the humanity! Google faces fallout of eerily non-robotic product

SCOTT HUFFMAN, an executive on Google's Assistant team, said the response to Duplex was mixed. Some people were blown away by the technical demos, while others were concerned about the implications. Huffman said he understands the concerns. Although he doesn't endorse one proposed solution to the creepy factor: Giving it an obviously robotic voice when it calls. "People will probably hang up," he said.

In an interview on Wednesday, Huffman suggested the machine could say something like, "I'm the Google assistant and I'm calling for a client." More experiments are planned for this summer, he noted.

Another Google employee working on the assistant seemed to disagree. "We don't want to pretend to be a human," designer Ryan Germick said when discussing the digital assistant at a developer session earlier on Wednesday.

Germick did agree, however, that Google's aim was to make the assistant human enough to keep users engaged. The unspoken goal: Keep people asking questions and sharing information with the company — which can use that to collect more data to improve its answers and services.

There's a thin line between Google's aim of making its assistant like a human and not deceiving real humans with software like Duplex.

Google consciously decided against giving the assistant a real human background. When it's asked how old it is, or where it was born, it either avoids the question or says clever things like "I was born in a meeting."

Duplex has been designed to perform a limited range of very specific tasks. Google's AI technology isn't smart enough to learn to do many other things quickly. If the human on the other end of the line asked questions about something other than hair or restaurants, Duplex wouldn't have a human answer and may well end the call — making it clear it is software. One Googler compared it to OpenTable's online restaurant reservation system, which automates the process online. No one worries that system will dupe humans by learning to do other tasks, the employee noted.

Another Google staffer privately questioned if the response would have been as visceral if Google showed Duplex handling more-annoying consumer predicaments, like a billing issue with a cable TV provider.

The debate didn't end with realistic robo-calling. Douglas Eck is a scientist at Magenta, a Google AI project researching the use of machine learning to create music, video, images and text. He was asked about his vision of the future in front of a packed audience of developers at I/O on Wednesday.

Eck said machine learning, a powerful form of AI, will be integrated into how humans communicate with each other. He raised the idea of "assistive writing" in the future with Google Docs, the company's online word processing software. This may be based on Google's upcoming Smart Compose technology that suggests words and phrases based on what's being typed.

Teachers used to worry about whether students used Wikipedia for their homework. Now they may wonder what part of the work the students wrote themselves, Eck said. This could be a dystopian vision, but it doesn't have to be that way, the Google scientist concluded. He compared it to the electric guitar, a technology that helped humans express themselves in new ways and is considered a positive advance.

नाबालिग से बलात्कार के बाद जिंदा जलाया, आरोपी गिरफ्तार

सागर (मध्यप्रदेश), 11 मई (भाषा)।

सागर जिले के बांदरी थाना क्षेत्र में गुरुवार की शाम 28 वर्षीय पुरुष ने नाबालिग किशोरी से बलात्कार करने के बाद उसे जिंदा जला दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।बांदरी थाना क्षेत्र मध्यप्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र खुरई में आता है।

बांदरी पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक कमल सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को बताया, 'अधिक जल जाने की वजह से लड़की की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। आरोपी रवि चढ़ार (28) को गिरफ्तार कर लिया गया है।' उन्होंने बताया कि आरोपी लड़की के गांव का ही रहने वाला है। गुरुवार की शाम किशोरी को अकेला देख वह घर में घुस गया और उसके साथ बलात्कार किया। जब लड़की ने इसके बारे में परिजनों को बताने की धमकी दी तो, आरोपी ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया। किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई।

लड़की के छोटे भाई ने बताया कि माता-पिता कहीं बाहर गए हुए थे। घर से धुआं निकलते देख वह तुरंत वहां पहुंचा और आरोपी रवि को घर के पीछे खड़ा देखा। ठाकुर ने बताया कि आरोपी को भादवि की संबद्ध धाराओं सहित पॉक्सो कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस बीच मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने इस घटना पर ट्वीट करते हुए कहा, 'फिर एक मासूम हुई सागर में दुष्कर्म का शिकार...विभत्स व नृशंस घटना... ऐसी घटनाओं से प्रदेश हो रहा निरंतर शर्मसार...दुष्कर्म की घटनाएं व किसानों की आत्महत्याएं प्रदेश भर में जारी...हमारे मुखिया कर्नाटक चुनाव से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में व्यस्त...' दूसरी और प्रदेश के गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं पर राजनीति नहीं करना चाहिए। सिंह ने कहा, 'यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं बालिका के घर जा रहा हूं। पीड़ित परिवार को दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। हम पीड़ित परिवार को हर तरह की सहायता करेंगे।' उन्होंने आगे कहा, 'समाज की विकृतियां इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। इन घटनाओं के लिए काफी हद तक पोर्न साइट जिम्मेदार हैं। हमने इस तरह की 21 साइटों को बंद किया है और केंद्र सरकार को भी इस मामले में सख्त कदम उठाने के लिए पत्र लिखा है।' सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने 12 साल से कम उम्र की बालिकाओं के साथ बलात्कार के आरोपियों को फांसी की सजा देने संबंधी कानून बनाने की देश में पहल की थी।

भागलपुर में अवैध शराब और गांजा बरामद

भागलपुर, 11 मई (जनसत्ता)।

यहां प्रेस लिखी टाटा इंडिका गाड़ी की डिक्की से 80 पैकेट गांजा बरामद किया गया। हरेक पैकेट का वजन एक किलो था। का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कांफ्रेंस कर यह जानकारी दी। इस सिलसिले में मो. मेराज आलम और मो. शफी आलम को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों थाना मोजाहिदपुर इलाके के रहने वाले हैं। सिटी डीएसपी शहरयार अख्तर के नेतृत्व में गिरफ्तार लोगों से गहन पूछताछ की जा रही है। गांजा कहां से लाया गया और इसमें और कितने लोग शरीक हैं, इसका पता पुलिस लगा रही है।

नशे के खिलाफ पुलिस अभियान में भारी मात्रा में भारत निर्मित विदेशी शराब बरामद की गई। एसएसपी के मुताबिक रॉयल स्टेग की 553 बोतल दो कारों से झारखंड से भागलपुर लाई जा रही थी। जिसे भागलपुर के शराब सेवन करने वालों को होम डिलीवरी की जाती। इस सिलसिले में कुख्यात शराब माफिया संजय चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी कानून व्यवस्था रमेश कुमार सिंह प्रभाकर गिरफ्तार शराब तस्कर से गहन पूछताछ व तफ्तीश कर रहे हैं। इसके अलावा काम्बिंग आपरेशन के तहत घोघा के अठगामा दियारा में पुलिस ने शुक्रवार को छापा मार कर दिनेश मंडल को दबोच लिया। उसके पास गोली से भरी अवैध एक रायफल, लोडेड दोनाली बंदूक के साथ 58 जिंदा कारतूस जब्त किया गया।

खेत में पानी देने को लेकर झड़प, एक की मौत

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 11 मई।

हरिद्वार के झबरेडा क्षेत्र में खेत में पानी देने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 17 वर्षीय मृतक विकास दलित समुदाय का है। इस गोलीबारी में मृतक विकास के पिता वेदपाल और उसका चचेरा भाई अनित गंभीर रूप से घायल हो गया। इन्हें देहरादून स्थित हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट में ईलाज के लिए भेजा गया है।

इस घटना से झबरेडा में भारी तनाव है। पूरे गांव में पीएसी और सिविल पुलिस तैनात कर दी गई है। गोली चलाने वाले महकार सिंह और उनके साथियों की तलाश में पुलिस ने कई जगह दबिश मारी और पुलिस ने महकार सिंह और उसके एक साथी ललित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

New Delhi Television Limited

CIN: L92111DL1988PLC033099
Regd. Off.: 207, Okhla Industrial Estate, Phase - III, New Delhi -110020
Phone: (91-11) 4157 7777, 2644 6666 Fax: 2923 1740
E-mail:corporate@ndtv.com; Website:www.ndtv.com

NDTV

Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended 31 March 2018

(Rs. in Lakhs except per share data)

Particulars	Standalone			Consolidated		
	A	B	C	D	E	F
	3 months ended (31/03/2018)	Current year ended (31/03/2018)	Previous year ended (31/03/2017)	3 months ended (31/03/2018)	Current year ended (31/03/2018)	Previous year ended (31/03/2017)
	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
Total income from operations (net)	7,702	30,033	37,776	10,840	42,901	48,999
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	(1,366)	(4,915)	(3,697)	(1,551)	(5,529)	(6,510)
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and extraordinary items)	(1,481)	(6,148)	(4,437)	(1,666)	(6,892)	(7,250)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and extraordinary items)	(1,451)	(6,142)	(4,506)	(1,733)	(8,000)	(8,038)
Total Comprehensive Income for the period	(1,653)	(6,486)	(4,606)	(1,959)	(8,389)	(8,150)
Equity Share Capital	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579
Earning Per Share (before and after extraordinary items) of Rs 4/- each						
Basic:	(2.25)	(9.53)	(6.99)	(2.69)	(12.41)	(12.47)
Diluted:	(2.25)	(9.53)	(6.99)	(2.69)	(12.41)	(12.47)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.nseindia.com and www.bseindia.com), and on the Company's website, www.ndtv.com.

Place : New Delhi
Date : 11 May, 2018

For New Delhi Television Limited
Prannoy Roy
Executive Co-Chairperson

बैंक ऑफ़ बड़ौदा (भारत सरकार का उपक्रम)

शाखा: अशोक विहार, 30 कम्युनिटी सेंटर, अशोक विहार-1, दिल्ली-110052
वेबसाइट: www.bankofbaroda.com

ई-नीलामी बिक्री सूचना

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना
ईएमडी तथा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 8-6-2018 के 4.00 बजे अप. तक

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के सं. 54) के अंतर्गत बैंक के पास गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री।

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी की गई सूचना के अनुपालन में बैंक के बकाए तथा नीचे वर्णित ब्याज की वसूली के लिए उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित ऋण खाताओं में निम्नलिखित संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया है तथा ऋणधारक द्वारा उसके भुगतान में विफलता के बाद उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बैंक के बकाए की वसूली के लिए अधोहस्ताक्षरी उक्त सम्पत्ति की बिक्री का प्रस्ताव करते हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री वेबसाइट पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफार्म द्वारा की जाएगी।

चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण

शाखा एवं खाता का नाम	सम्पत्ति एवं स्वामित्व का विवरण (भौतिक कब्जा)	मांग सूचना के अनुसार राशि / मांग सूचना तिथि	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	खाता में जमा की जाने वाली ईएमडी	ई-नीलामी की तिथि/समय / निरीक्षण की तिथि एवं समय	प्राधिकृत अधिकारी तथा सम्पर्क नं.
शाखा अशोक विहार खाता- मै. वैभव लक्ष्मी इम्पेक्स प्रा.लि.	सुरेश मडोवरा के नाम में शाली हरफूल सिंह, सदर माना रोड, दिल्ली-110006 में स्थित सम्पत्ति म्युनिसिपल न. 5596 से 5598, 5621 से 5624, प्लॉट न. 34, वार्ड-XIV में बिना छत/टैरेस अधिकार के दूसरे तल पर एक कमरा प्रा.न. 3.	13(2) सूचना तिथि 13.03.2016 के अनुसार रु. 2.03.17.174.12/- (तथा ब्याज, खर्चे तथा अन्य अनुषांगिक चार्जेज आदि)	430000.00 / 43000.00 / 4300.00	खाता का नाम: सन्ड्राई डिपाजिट आरटीजीएस खाता न. 07130013201005. आईएफएससी: BAR-BODELWAZ	12.06.2018 1.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. / पूर्व अनुमति के साथ कार्यालय अवधि के दौरान तिथि 7.6.2018 1.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.	श्री मधुसूदन गुप्ता (एजीएम) अशोक विहार शाखा, दिल्ली, एम.: 9130999104, 011-25360921 ई-मेल आईडी: delwaz@bankofbaroda.co.in

नियम एवं शर्तें

1. यह ई-नीलामी "जैसा है जहां है" तथा "जो भी यहां है आधार" पर आयोजित की जाएगी।
2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में सम्पत्ति के प्रति कोई अधिभार नहीं है। लेकिन, इच्छुक क्रेता अपनी बोली जमा करने से पूर्व नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति पर किसी अधिभारों, टाईटल तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावे/ अधिकारों/ बकायों के विषय में स्वयं की स्वतंत्र जांच कर लें। ई-नीलामी विज्ञापन को बैंक की किसी प्रतिबद्धता अथवा किसी प्रतिनिधित्व का द्योतक नहीं है अथवा उसे उसका द्योतक नहीं माना जाएगा। सम्पत्ति को बैंक को ज्ञात अथवा अज्ञात वर्तमान तथा भविष्य के सभी अधिभारों के साथ बेचा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/ प्रतिभूत क्रेडीटर किसी भी थर्ड पार्टी दावे/ अधिकारों/ बकायों के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।
3. यह उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा कि बोली जमा करने से पूर्व सम्पत्ति तथा विनिर्देशन के विषय में उसकी जांच कर संतुष्ट हो लें। नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से 7.6.2018 को कार्यावधि के दौरान साईट पर किया जा सकता है।
4. यदि किसी भी प्राधिकरण (दिविप्रा, दि.न.नि. आदि) द्वारा कोई मांग उठाई जाती है, बोलीदाता/क्रेता को ऐसे प्राधिकरण द्वारा की गई मांग के अनुसार सभी बकाये (चाहे लम्बित या उक्त बिक्री के कारण या भविष्य में उत्पन्न) का वहन करना होगा तथा बोलीदाता/क्रेता को इस संदर्भ में किसी अन्य लागतों/खर्चे का वहन करना होगा तथा यथा वर्णित ऐसे किसी भी प्राधिकरण की इस प्रकार की किसी भी मांग के लिए बैंक का कोई दायित्व नहीं होगा।
5. बैंक के अभिलेखों के अनुसार सम्पत्ति पर सरकार की कोई बकाया नहीं है।
6. इच्छुक बोलीदाताओं को वेबपोर्टल: **https//www.bankeauction.com** (यूजर आईडी एवं पासवर्ड **https//www.bankeauction.com** के साथ अपना नाम पंजीकृत करके निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) पर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से अपनी धरोहर राशि जमा करना होगा। धरोहर राशि का भुगतान एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से ऊपर वर्णित खाता में किया जाएगा। कृपया ध्यान रहे कि धरोहर राशि के लिए चेक/डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होगा।
7. वेब पोर्टल पर बोलीदाता द्वारा पंजीकरण के बाद इच्छुक बोलीदाता/ क्रेता को बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व वेब पोर्टल में निम्न दस्तावेजों को अपलोड करना होगा: i) एनईएफटी/ आरटीजीएस चालान की प्रति, ii) पैन कार्ड की प्रति: iii) पहचान का प्रमाण (केवाईसी) जैसे वोटर आईडी कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट आदि की स्वतः सत्यापित प्रति, iv) पते के प्रमाण की प्रति जिसके बिना बोली निरस्त कर दी जाएगी। विधिवत रूप से भरकर एवं हस्ताक्षर कर परिशिष्ट-II एवं III की स्कैन्ड कॉपी का अपलोडिंग भी आवश्यक होगा।
8. जिन इच्छुक बोलीदाताओं को लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डैटा अपलोड करने, बोली दस्तावेज जमा करने तथा ई-नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि की जरूरत हो, वे मै. सी 1 इंडिया प्रा. लि., प्लॉट नं. 301, 1ला तल, उद्योग विहार फेज 2, गुड़गांव, हरियाणा 122015, हेल्प लाइन नं. 0124-4202020/ 21/ 22/ 23/ 24, +91-9813887931, हेल्पलाइन ईमेल आईडी: support@bankeauctions.com से संपर्क करें तथा सम्पत्ति-संबंधी किसी भी पूछताछ के लिए ऊपर वर्णित प्राधिकृत अधिकारी तथा सम्पर्क सं. से कार्यालय अवधि के दौरान कार्य दिवसों को संपर्क करें।
9. केवल ऐसे बोलीदाता जिनके पास वैध यूजर आईडी/ पासवर्ड तथा एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के भुगतान का पुष्ट प्रमाण हो, वे ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।
10. जिन इच्छुक बोलीदाता ने 8.6.2018 को 4 बजे अप. से पूर्व ऑन लाइन पद्धति में अपना ईएमडी जमा किए हों, ई-नीलामी बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्य होंगे। ई-नीलामी बोलीदाताओं के बीच इंटर से बिडिंग के समय प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष वर्णित तिथि एवं समय में आयोजित होगी। बोलीदाता सम्पत्ति के समक्ष "बोली वृद्धि राशि" कॉलम के अंतर्गत वर्णित राशि में बोली में वृद्धि कर सकते हैं। यदि बोली ई-नीलामी की समाप्ति के अंतिम 5 मिनट में की जाती है तो अंतिम समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा (असीमित विस्तार।) उच्चतम बोली राशि (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) जमा किए होने वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा तथा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से इस आशय की सूचना जारी की जाएगी जो प्रतिभूत क्रेडीटर/प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगी।
11. सफल बोलीदाता की धरोहर राशि (ईएमडी) बिक्री राशि में समायोजन के लिए रख ली जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस लौटा दी जाएगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के तत्काल बाद पूर्व प्रदत्त ईएमडी समायोजित करते हुए 25% बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा तथा शेष 75% बिक्री मूल्य का भुगतान प्राधिकृत अधिकारी की एकाकी इच्छा पर बिक्री के 15वें दिन या उससे पूर्व अथवा लिखित में स्वीकृत विस्तारित अवधि के भीतर किया जाएगा। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक करने पर बोलीदाता द्वारा पहले से जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति की फिर से नीलामी की जाएगी तथा चूक करने वाले ऋणधारक/ बोलीदाता संपत्ति/ राशि के मामले में सभी दावे/ अधिकार से वंचित हो जाएंगे।
12. संभावित योग्य बोलीदाता मै. सी 1 इंडिया प्रा. लि. से ई-नीलामी की तिथि से पूर्व ई-नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट नेटवर्क से संबंधित समस्या के लिए प्राधिकृत अधिकारी/ बैंक अथवा सी 1 इंडिया प्रा. लि. उत्तरदायी नहीं होगा तथा इच्छुक बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि ई-नीलामी आयोजन में भाग लेने के लिए तकनीकी रूप से वे सु-सज्जित हैं।
13. क्रेता को लागू होने वाले स्टाम्प शुल्कों/ अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क/ अंतरण प्रभारों, शुल्क आदि के साथ ही साथ सांविधिक/ गैर सांविधिक बकाए, कर, दरों, गणना प्रभारों का भी शुल्क आदि का वहन करना होगा।
14. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं तथा प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा ई-नीलामी को स्थगित/ रद्द/ निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है।
15. बोलीदाताओं से आग्रह है कि ई-नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों को ठीक से देख लें जो मै.सी 1 इंडिया प्रा.लि. के वेबसाइट **https://www.bankeauctions.com** अथवा **http://www.tenders.gov.in** पर उपलब्ध है जो वे अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व देख सकते हैं।

एतद्द्वारा ऋणधारकों/ गारंटरों को सूचित किया जाता है कि ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज तथा सहायक खर्चे के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा संपत्ति की नीलामी/ बिक्री कर दी जाएगी तथा शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा उस पर लागत के साथ वसूल की जाएगी।

तिथि: 09.05.2018 स्थान: अशोक विहार दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

मर्यादा कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज एंड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 106 (1ला तल) मधुबन टावर, ए-1, सीएस ब्लॉक, शकरपुर क्रॉसिंग, दिल्ली-110092
CIN: U65993DL1982PLC013738
फोन नं.: 011-49901667, वेबसाईट: www.maryadainvestment.in

सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के साथ पठित सेबी (सूचीबद्ध दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29, विनियमन 33 तथा विनियमन 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 21 मई, 2018 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 106 (1ला तल) मधुबन टावर, ए-1, सी एस ब्लॉक, शकरपुर क्रॉसिंग, दिल्ली-110092 में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही तथा वित्त वर्ष के स्टैण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।
पुनः कम्पनी द्वारा निर्मित इनसाइडर ट्रेडिंग विनियमन, निगरानी तथा सूचना आचार संहिता के साथ पठित सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के अनुपालन में कम्पनी के ट्रेडिंग विण्डो कम्पनी के सभी निदेशकों/ अधिकारियों/ विनिर्दिष्ट कर्मचारियों के लिए 13 मई, 2018 से 25 मई, 2018 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।
विस्तृत विवरणों के लिए निवेशक कम्पनी की वेबसाइट www.maryadainvestment.in तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.msei.in देखें।

मर्यादा कॉमर्शियल एण्टरप्राईजेज एंड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
पवन कुमार अग्रवाल
DIN: 00079230
निदेशक
पता: सी-441, निर्माण विहार, नई दिल्ली-110092

तिथि: 11.05.2018
स्थान: नई दिल्ली

नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: टोल प्लाज़ा, मयूर विहार लिंक रोड, नई दिल्ली – 110 091.
फोन: 0120-2516495, ई-मेल : ntbcl@ntbcl.com
CIN : L45101DL1996PLC315772 वेबसाइट : www.ntbcl.com

सूचना

एतद्द्वारा सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) कानून, 2015 के नियम 47 के साथ पढ़ते हुए नियम 29 के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त हुई तिमाही और वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैन्डअलोन और कन्सॉलिडेटेड आर्थिक परिणामों पर विचार करने और मंजूरी देने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 21 मई 2018 को होगी. सूचना में निहित जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.ntbcl.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है.

नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर
धीरज गेरा
(कंपनी सचिव)

दिनांक : 11 मई, 2018
स्थान : नई दिल्ली

NTBC / 130 / PREM ASSOCIATES - HIN

DFM FOODS LTD.

CIN: L15311DL1993PLC052624
Regd. Office: 8377, Roshanara Road, Delhi-110007
Tel: 011-23826445 Fax: 011-23822409
Email: dfm@dfmgroup.in Website: www.dfmfoods.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 25th day of May, 2018 to consider and take on record the Audited Financial results of the Company for the quarter/year ended 31st March, 2018 and also to consider recommendation of dividend, if any.

For further details, please visit the website of the Company (www.dfmfoods.com), BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com).

Place: Delhi
Dated: 11th May, 2018

For DFM Foods Ltd.
Sd/-
Company Secretary

PREMIER POLYFILM LTD.

Regd.Office: 305, III Floor, Elite House, 36, Community Centre, Kailash Colony Extn., Zamroodpur, New Delhi -110048.
CIN: L25209DL1992PLC049590, Phone : 011-29246481
Email : premierpoly@premierpoly.com, Website : www.premierpoly.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations.2015, a Meeting of Board of Directors of the company will be held on Tuesday, 29th May,2018 at 11.30 A.M. at the Registered Office of the company at 305, III Floor, Elite House, 36, Community Centre, Kailash Colony Extension, Zamroodpur, New Delhi 110048 to consider and approve the standalone Audited Financial Results of the company for the quarter and financial year ended March 31,2018 and to consider and recommend dividend on equity shares.

Further, trading window for dealing in the securities of the Company by the Insiders, as defined under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations,2015 is closed from Tuesday 23rd May,2018 to 1st June,2018 (both days inclusive).

The notice is available on the Company's website www.premierpoly.com and also on www.bseindia.com and www.nseindia.com

Date : 11/05/2018
Place : New Delhi

For PREMIER POLYFILM LTD.
Sd/-
COMPANY SECRETARY

JAGSONPAL FINANCE & LEASING LTD.

CIN: L65929DL1991PLC043182
Regd. Office: D-28, First Floor, Greater Kailash Enclave - I, New Delhi - 110 048.
Tel : 011-49025758, Fax : 011-41633812, Web : www.jagsonpal.co.in, Email: jagsonpalfinance@gmail.com

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2018

(₹ in Lacs)

PARTICULARS	Audited		
	Quarter ended	the Year ended	Quarter ended
	31.03.2018	31.03.2018	31.03.2017
Total income from operation	5.09	(22.08)	46.46
Net Profit/(Loss) for the period before tax and exception & extraordinary items	43.29	(33.04)	43.29
Net Profit/(Loss) for the period after tax (before exception & extraordinary items)	2.78	(33.04)	43.29
Net Profit / (Loss) for the period after tax, Exceptional and extraordinary items	2.78	(33.04)	43.29
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2.78	(33.04)	43.29
Equity Share Capital	550.04	550.04	550.04
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous)	–	–	–
Earning Per Share (before extraordinary items) (Face Value Rs. 10/- each) - Basic - Diluted	0.05	(0.60)	0.78
Earning Per Share (after extraordinary items) (Face Value Rs.10/- each) - Basic - Diluted	0.05	(0.60)	0.78

Note:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulation 2015. The Full format of the Financial Results for the Quarter and year ended on 31.03.2018 are available on the Stock Exchange i.e. bseindia.com and on the company's website www.jagsonpal.co.in.
2. The said financial results were reviewed by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 11.05.2018.
3. The figures of the quarter ended 31.03.2018 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial years and the published year to date figures upto the third quarter of the current financial year. The previous financial year/period figures have been regrouped/restated wherever necessary, to correspond with the figures of current period.

Place : New Delhi
Date : May 11, 2018

Kanwarpal Singh Kochhar
Chairman & Managing Director
DIN : 00529230

JINDAL INDIA THERMAL POWER LIMITED

Reg. Off. : Plot No. 12, Sector B-1, Local Shopping Complex, Vasant Kunj, New Delhi – 110 070, Ph. 011-26139256-65
Website : www.jitpl.com, Email : cs_jitpl@jindalgroup.com
CIN No. : U74999DL2001PLC109103

Notice is hereby given that the Original Equity Share Certificates details of which are given hereunder are reported lost/misplaced/stolen and that pursuant to request from the concerned shareholders, the Company intends to issue duplicate share Certificate in lieu of Original Certificates :

JINDAL INDIA THERMAL POWER LIMITED

Sl. No	Name of Regd. Holder(s)	Folio No.	Share Cert. No.	Distinctive Nos. From	To	No. of Shares
1.	SIDHIKA GOENKA	JTP0000106	107	520010051	520060050	50000
2.	ALOK PALIWAL	JTP0000144	208	605464551	605466550	2000
3.	BIMAL KUMAR SARAF	JTP0000052	52	507338051	507342050	4000
4.	GHANSHYAM SUGLA	JTP0000062	62	507410051	507414050	4000
5.	NAVAL BEHARI BHOOT	JTP0000069	70	518456051	518464050	8000
					Total	68000

Any person having any objection in issuing of Duplicate Share Certificate(s) by the Company in Lieu of Original Share Certificate(s) may submit in writing with the company's Registered Office within 10 day from the date of Publication of this Advertisement.

Place : Delhi
Date : May 11, 2018

For Jindal India Thermal Power Limited
Sd/- (Sunit Maheshwari)
Company Secretary (FCS- 5324)

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय,
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
दूसरा तल, पारस टॉवर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248171

प्रकाशन नोटिस

टी.ए सं. 561/2018

(डीआरटी, लखनऊ के पुराने ओ.ए सं. 865/2014)

(ऋणों की वसूली एवं दिवालिया अधिनियम 1993 के खंड 19 के उप खंड (4) के अंतर्गत सम्मन को ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम 1993 के नियमों के उपनियम (2A) जिसमें समय-समय पर सुधार होता रहा है के साथ पढ़ा जाए)

डायरी संख्या : 315 **दिनांक 03.05.2018**

कार्पोरेशन बैंक बनाम मेसर्स ऑल इंडिया ठाकुर महावीर सिंह मेमोरियल ऐजुकेशन सोसायटी एवं अन्य

1. मेसर्स ऑल इंडिया ठाकुर महावीर सिंह मेमोरियल ऐजुकेशन सोसायटी, पंजीकृत कार्यालय एच-341, हरि नगर एक्सटेंशन, जैतपुर रोड, बदरपुर, नई दिल्ली, इसके अध्यक्ष / महा सचिव / प्रबंधक द्वारा
2. श्री राम भूल सिंह पुत्र श्री चंद्र रूप सिंह, निवासी मार्फत इंडियन पब्लिक स्कूल, सरसावा देहरादून रोड से 27 किलोमीटर, वीआईपी-सधोली कादिम, जिला-सहारनपुर, यूपी

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ के समक्ष लंबित नोटिस **ओ.ए.सं. 865/2014** जिसको गजट नोटिफिकेशन S.O454(E) दिनांक 15-02-2017, S.O784(E) दिनांक 23-02-2018 एवं शुद्धि पत्र गजट नोटिफिकेशन S.O 816 (E) दिनांक 27-02-2018 द्वारा देहरादून में नए डीआरटी की स्थापना के कारण अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन को देखते हुए ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून को स्थानांतरित किया जाता है। उपरोक्त भेजे गए मामले की नयी संख्या टी.ए. सं. 561/2018 है और जिसे माननीय पीठसीन अधिकारी के समक्ष दिनांक 03-05-2018 को सूचिबद्ध किया गया है।

अत: माननीय न्यायाधिकरण वसूली एवं दिवालिया अधिनियम 1993 (OA) के खंड 19(4) के अंतर्गत **रु. 99,02,498/-** के ऋण की वसूली हेतु आपके विरूद्ध फाइल मूल आवेदन पर आपको सम्मन / नोटिस जारी करती है।

जबकि न्यायाधिकरण यह मानता है कि सामान्य प्रक्रिया द्वारा आपको नोटिस नहीं दिया जा सकता है अत: यह नोटिस आपको प्रकाशन द्वारा दिया जा रहा है और आपको निर्देशित किया जाता है कि आप न्यायाधिकरण के समक्ष **12.06.2018 को 10.30 बजे प्रात:** स्वयं या प्राधिकृत एजेंट अथवा वकील के माध्यम से प्रस्तुत हों। आपको कारण बताना है कि OA में मांगी गई सहायता क्यों न प्रदान की जाए और यदि आपके बचाव, समंजन हेतु दावा, प्रतिदावा संबंधी आपका कोई उत्तर है तो उसे सभी दस्तावेजों और शपथपत्र के एक सेट के साथ पेपरबुक के रूप में इस नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर इस न्यायाधिकरण में व्यक्तिगत रूप में या अपने विधिवत प्राधिकृत एजेंट द्वारा या वकील के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए।

अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (4) के अनुसार प्रतिवादी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि :-

1) सम्मन दिए जाने के 30 दिनों के अंदर यह कारण बताएं कि क्यों मांगी गई सहायता दी जाए।
2) मूल आवेदन के क्रम संख्या 3A में दर्शाई गई आस्तियों एवं सम्पत्तियों के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों को प्रकट किया जाए।
3) आपके द्वारा सुरक्षित आस्तियों तथा मूल आवेदन के क्रम संख्या 3A में दर्शाई गई अन्य किसी भी सम्पत्ति या आस्ति के लेन-देन या निपटाने पर सम्पत्तियों की कुर्की संबंधी लंबित आवेदन पर सुनवाई तथा निस्तारण किए जाने तक रोक लगाई जाती है।
4) आप सामान्य व्यापार के अतिरिक्त किसी भी आस्ति जिस पर सुरक्षित प्रभार है और मूल आवेदन में दर्शाई गई अन्य आस्तियों और सम्पत्तियों की बिक्री, पट्टा या अन्य प्रकार से हस्तांतरण, न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना नहीं कर सकते।
5) आप सुरक्षित आस्तियों तथा अन्य आस्तियों व सम्पत्तियों के सामान्य व्यापार में विक्रय की स्थिति में प्राप्त राशि को बैंक या ऐसी आस्तियों पर सुरक्षित प्रभार रखने वाली वित्तीय संस्थाओं में रखे गए खातों में जमा करने हेतु बाध्य हैं।

यह नोट करें कि निर्धारित तिथि एवं समय को आपके उपस्थित न होने की स्थिति में केस की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि उत्तर की कोई अग्रिम प्रति हो तो उसे आवेदक बैंक के वकील को जमा करें।

मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायाधिकरण की मोहर द्वारा मई 2018 के तीसरे दिन दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश से
रजिस्ट्रार (आई/सी)
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)
पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016
वेबसाइट: www.powergridindia.com CIN : L40101DL1989GOI038121
पावरग्रिड

सूचना

1. "उत्तरी ग्रिड-भाग-III के मध्य भाग" हेतु 765 केवी प्रणाली के अधीन निम्नलिखित याचिका के लिए 2009-14 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के लिए ट्रयु अप और 2014-19 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए कें.वि.वि.आ. (टैरिफ की शर्तें एवं निबंधन) विनियम 2009 के विनियम 6(1) एवं 15 तथा कें.वि.वि.आ. (टैरिफ की शर्तें एवं निबंधन) विनियम 2014 के विनियम-6 के अधीन अनुमोदन: **याचिका 1:-** उत्तरी क्षेत्र में एनआरटीएसएस के अधीन पारेषण प्रणाली, जिसमें परिसंपत्ति-1: जयपुर दक्षिण में 125 एमवीएआर बस रिएक्टर (01.01.2013), परिसंपत्ति-II: 400 केवी भिवानी जींद पारेषण लाईन साथ में संबद्ध खंड जमा 1 नग 500 एमवीए, 400 / 220 केवी आईसीटी-I और जींद सब-स्टेशन पर संबद्ध खंड (01.04.2013), परिसंपत्ति-III: 400 / 220 केवी 500 एमवीए आईसीटी-II साथ में जींद सब-स्टेशन पर संबद्ध 400 / 220 केवी खण्ड और एक 220 केवी लाईन खण्ड (01.10.2013), तथा परिसंपत्ति-IV: जींद सब-स्टेशन पर 1 नग 400 केवी, 125 एमवीएआर बस रिएक्टर साथ में संबद्ध खंड (01.10.2013) तथा **याचिका 2:-** के लिए (1): मेरठ सब-स्टेशन पर 400 केवी डी / सी बरेली-मंडोला लाईन के सर्किट-1 का एलआईएलओ (डीओसीओ: 01.10.2012), (2): मेरठ सब-स्टेशन पर 400 केवी डी / सी बरेली-मंडोला लाईन के सर्किट-2 का एलआईएलओ (डीओसीओ 01.04.2013), (3): भिवानी सब-स्टेशन पर भिवानी-मोगा लाईन के लिए 765 केवी खण्ड, भिवानी सब-स्टेशन पर 765 केवी 240 एमवीएआर बस रिएक्टर-I साथ में संबद्ध खण्ड, भिवानी सब-स्टेशन पर 765 / 400 केवी 1000 एमवीए आईसीटी-I साथ में संबद्ध खंड; भिवानी सब-स्टेशन पर हिसार-बहादुरगढ़ के लिए 02 नग 400 केवी खण्ड (डीओसीओ: 01.06.2012), (4): भिवानी में हिसार-बबाना का एलआईएलओ साथ में भिवानी सब-स्टेशन पर 02 नग 400 केवी खण्ड (डीओसीओ: 01.07.2012), (5): भिवानी सब-स्टेशन पर जट्टीकलां-भिवानी लाईन के लिए 765 केवी खण्ड (डीओसीओ : 01.10.2012), (6): मेरठ और भिवानी में 765 केवी एस / सी मेरठ-भिवानी लाईन साथ में संबद्ध खण्ड और भिवानी सब-स्टेशन पर 765 केवी, 240 एमवीएआर लाईन रिएक्टर (डीओसीओ: 01.02.2014), (7): भिवानी सब-स्टेशन पर 765 / 400 केवी, 1000 एमवीए आईसीटी-II साथ में संबद्ध खण्ड (डीओसीओ: 01.10.2012), (8): भिवानी सब-स्टेशन पर 765 केवी 240 एमवीएआर बस रिएक्टर-II साथ में संबद्ध खंड (डीओसीओ: 01.07.2012) और (9): 400 / 220 केवी बल्लभगढ़ सब-स्टेशन (री-अलाइनमेंट कार्य) (डीओसीओ 01.12.2012) शामिल हैं।
2. ऊपर वर्णित पारेषण प्रणाली के लाभार्थी हैं: (1) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (2) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमि. (3) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमि. (4) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमि. (5) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (6) हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र (7) विद्युत विकास विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार (8) उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमि. (9) दिल्ली ट्रांस्को लिमि. (10) बीएसईएस यमुना पावर लिमि. (11) बीएसईएस राजधानी पावर लिमि. (12) नार्थ दिल्ली पावर लिमि. (13) चंडीगढ़ प्रशासन (14) उत्तरांचल पावर कार्पोरेशन लिमि. (15) उत्तर मध्य रेलवे (16) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (17) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड।
3. टैरिफ विवरण:

अ. 2009-14 ब्लॉक (₹ लाख में)

याचिका	याचिका का विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
याचिका 1	परिसंपत्ति I	-	-	-	46.95	201.50
	परिसंपत्ति II	-	-	-	-	2757.20
	परिसंपत्ति III	-	-	-	-	199.26
	परिसंपत्ति IV	-	-	-	-	104.62
याचिका 2	परिसंपत्ति 1	-	-	-	677.03	1423.13
	परिसंपत्ति 2	-	-	-	-	1572.23
	परिसंपत्ति 3	-	-	-	2351.08	3311.13
	परिसंपत्ति 4	-	-	-	438.00	633.90
	परिसंपत्ति 5	-	-	-	165.72	380.46
	परिसंपत्ति 6	-	-	-	-	1154.50
	परिसंपत्ति 7	-	-	-	695.55	1735.64
	परिसंपत्ति 8	-	-	-	579.36	907.07
	परिसंपत्ति 9	-	-	-	5.22	16.09

ब. 2014-19 ब्लॉक (₹ लाख में)

याचिका का विवरण	लाईन की लंबाई	खण्डों की संख्या	प्रभावी डीओसीओ	कें.वि.वि.आ. द्वारा स्वीकृत लागत
याचिका-1 में संयुक्त परिसंपत्तियां	82.23(डी/सी)	8(400 केवी) 6(220 केवी)	01.05.2013	18597.1
याचिका-2 में संयुक्त परिसंपत्तियां	118.86(डी/सी) 173.69(एस/सी)	7(400 केवी) 10(220 केवी)	01.06.2013	79060.22

2014-2019 टैरिफ ब्लॉक के लिए टैरिफ

2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
3782.06	3877.56	3920.73	3876.69	3833.90
17165.89	17091.74	16842.76	16612.53	16310.17

4. टैरिफ के निर्धारण के लिए दायर किए गये आवेदन की एक प्रति आवेदक की वेबसाइट **www.powergridindia.com** पर डाली गई है।
5. आवेदन-पत्र में वर्णित टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रस्तावों पर सुझाव एवं आपत्तियां, यदि कोई है, लाभार्थी सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, तीसरा एवं चौथा तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली-110001 (अथवा जहां कहीं आयोग का कार्यालय स्थित है), साथ में एक प्रति आवेदक को इसके कारपोरेट कार्यालय के पते "सौदामिनी", प्लाट नं. 2, सेक्टर-29, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 पर, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर दायर की जा सकती हैं।

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 07.05.2018

हस्ता/-
उप-महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)

PGCC/Notice-08/Advt-17/18-19/Interpub

हमारे ऐप प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नम्बर 18002003004 पर मिस्ड कॉल दें